



विज्ञापित क्र.: 26

दिनांक : 22.01.2025

इन्दौर विकास प्राधिकारी की योजना क्र. 155 टिगरीया बादशाह रोड़ पर आवासीय उपयोग के 562 (2/RK/ 1-BHK & 2BHK) प्रकोष्ठो को को भू-स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्युटर द्वारा लॉटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन आमंत्रित किये जाते है। प्रकोष्ठो का विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया (व.मी.)	प्रकोष्ठ का मूल्य (रु.लाख)	पंजीयन राशि (रु.लाख)
1	2 RK (E-Type)	20	आवेदन फार्म में	49.12 से 49.74	12.10 से 12.25	1.50
2	1 BHK (L-Type)	484	संलग्न सूची	77.41 से 79.80	19.07 से 19.65	2.00
3	2 BHK (M-Type)	58	अनुसार	101.30 से 106.06	24.96 से 26.10	3.00

### लॉटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी दिनांक एवं समय

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	29-01-2025	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	19-02-2025	17:30 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	20-02-2025	11:30 hrs
4	लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	03-03-2025	12:30 hrs

नोट :-

- लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते है।
- लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ. टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठो के चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, आवेदन प्रपत्र एवं सभी डाक्यूमेंट की प्रति स्कैनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- लॉटरी पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम,2018 तथा यथासंशोधित नियम 09.04.2021 के नियम 12 अनुसार संपत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदक आवेदन करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर प्रकोष्ठ का अवलोकन कर आवेदन करें एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिती में दिया जावेगा।
- योजना का इ.न.पा.नि. इन्दौर के पत्र क्र. 638 दि. 27.04.2017 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की राशि प्राधिकारी कोष में जमा करने उपरांत नियत दिनांक से 6 दिवस पूर्व प्राधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर जमा राशि की पुष्टि करना अनिवार्य है, किसी भी कारण से नियत दिनांक तक राशि प्राधिकारी कोष में जमा नहीं होने पर सम्पत्ति की निरस्ती संबंधी समस्त जवाबदेही आवेदक/आरक्षिती की होगी।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकारी,इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल मे मो. 9893699113 पर संपर्क करें।

प्राधिकारी की वेबसाईट [www.idaindore.org](http://www.idaindore.org) पर देख सकते हैं।